प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 20.04.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- गैंगस्टर व पुलिस पार्टी पर फायर करने के अभियोगो मे वांछित आरोपी अवैध तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध, अवैध शस्त्रो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं संलिप्त अपराधियों व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20.04.2024 को थाना बिलारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 173/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट व मु0अ0सं0- 227/24 धारा- 307 आईपीसी में वांछित अभियुक्त आकाश शर्मा पुत्र उमेश चंद शर्मा निवासी मोहल्ला हर्ष नगर कस्बा व थाना बिलारी मुरादाबाद को उ0नि0 नितेश सहराबत थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के एक अवैध तमन्चा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा-कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 229/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्त उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर अन्य अभियोग भी पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 228/22 धारा 392/411 भा0द0वि0
2. मु0अ0सं0- 231/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0- 173/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
4. मु0अ0सं0- 227/24 धारा 307 भा0द0वि0
5. मु0अ0सं0- 229/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।